कैसे दूर हो बुंदेलखंड का संकट

भारत डोगरा

दो राज्यों उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के 13 ज़िलों के 69,000 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में फैला बुंदेलखंड एक समृद्ध इतिहास और साहस की लोक-गाथाओं से जुड़ा रहा है। परंतु हाल के वर्षों में यहां की अधिकांश चर्चा सूखे व बाढ़, खेती-किसानी के संकट, डकैतों के आतंक व महिलाओं के उत्पीड़न के संदर्भ में ही होती रही है। बुंदेलखंड के बिगड़ते हालात का कोई एक मुख्य कारण नहीं है। बहुत-सी स्थानीय विसंगतियां पहले ही गंभीर समस्याएं उत्पन्न कर रही थीं तथा जलवायु बदलाव के दौर में प्रतिकूल मौसम ने परंपरागत आजीविका को अधिक क्षति पहुंचाई तो पहले की समस्याओं से मिलकर यह संकट बढ़ गया। इस संकट के समाधान के प्रयास भी कई स्तरों पर एक साथ करने होंगे।

वर्षों से न्याय, समता व पर्यावरण सम्बंधी मांग करते आ रहे विभिन्न जन आंदोलनों का महत्त्व जलवायु बदलाव के इस दौर में और बढ़ गया है। अब वे और ज़ोर देकर यह कह सकते हैं कि न्याय और पर्यावरण रक्षा के हित में बदलाव तुरंत करने होंगे क्योंकि यदि इसमें देर होगी तो जलवायु बदलाव के इस दौर में यह क्षति असहनीय होगी।

1. कृषि व ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उच्च प्राथमिकताः जलवायु बदलाव व इससे जुड़े खतरों को देखते हुए सरकारी नीतियों में बड़ा और महत्त्वपूर्ण झुकाव सबसे कमज़ोर वर्गों व छोटे किसानों के पक्ष में होना चाहिए। इसी तरह सरकारी नीतियों का झुकाव गांवों के प्रति व कृषि सम्बंधित कार्यों से जुड़ी आजीविकाओं के प्रति होना चाहिए। इनमें ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कम होता है व इनकी प्रगति खाद्य सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। यह झुकाव पर्यावरण रक्षा, आपदा बचाव व राहत कार्यों को बेहतर करने के प्रति भी होना चाहिए। नए खतरों व चुनौतियों का सामना करने के लिए सरकार को इस तरह का बदलाव अपने बजट वितरण, प्रशासनिक तंत्र की प्राथमिकताओं सहित हर स्तर पर करना होगा। बजट वितरण में बदलाव कर कहीं अधिक बजट का हिस्सा कृषि व पर्यावरण रक्षा के लिए उपलब्ध करना चाहिए।

2. जैविक खेती या आर्गेनिक खेतीः सामान्य चर्चा में जैविक खेती का अर्थ यह लगाया जाता है कि किसान रासायनिक खाद व कीटनाशकों आदि का उपयोग न करें व इसके स्थान पर मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए गोबर, पत्ती, कंपोस्ट खाद आदि व हानिकारक कीड़ों के प्रकोप से बचने के लिए नीम, राख, गोमूत्र व इनके विभिन्न मिश्रणों का उपयोग करें। पर कई बार देखा गया है कि जैविक खेती को स्वीकार करने के बाद भी कुछ किसान कुछ हद तक रासायनिक खाद का उपयोग करते रहते हैं। परिवर्तन के दौर में किसान कई तरीके आज़मा कर देखना चाहते हैं व फिर अपनी स्थितियों व समझ के अनुसार कोई तकनीक अपनाते हैं। किसी ज़ोर-ज़बरदस्ती का तो सवाल ही नहीं है, पर सरकार की अपनी नीतियों में इस तरह का बदलाव बहुत ज़रूरी है कि वह रासायनिक खाद व कीटनाशक को निरर्थक व हानिकारक सबसिडी देने के स्थान पर अपने तमाम उपलब्ध वित्तीय, प्रशासनिक, वैज्ञानिक संसाधनों का उपयोग जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए करें व जैविक कृषि अपनाने वाले किसानों की सहायता करें।

भारतीय गांवों की स्थिति में जैविक खेती के साथ कम खर्च की खेती, सस्ती खेती व आत्म-निर्भर खेती जोड़ना ज़रूरी है। जो खेती स्थानीय संसाधनों के बेहतर उपयोग पर आधारित है, वही आत्मनिर्भर है, वही सस्ती भी है।

जैविक कृषि के प्रसार को हमें अलग-थलग नहीं देखना है अपितु जल व नमी संरक्षण, पेड़ों व चरागाहों की हरियाली व पशुधन की समृद्धि के ऐसे माहौल के साथ-साथ आगे बढ़ाना है जिसमें जैविक कृषि के पनपने की अच्छी संभावनाएं होती हैं। इसके साथ ही फसलों व प्रत्येक फसल की किस्मों की विविधता व उचित फसल चक्र भी महत्त्वपूर्ण है।

एक अन्य सवाल यह उठता है कि क्या जैविक खेती को बढ़ाने के प्रयास उन बीजों पर आधारित हो सकते हैं जो तथाकथित हरित क्रांति के दौरान प्रचलित हुए थे? हरित क्रांति के नाम पर मूलतः फसलों की वे किस्में फैलाई गईं जो अधिक रासायनिक खाद के उपयोग के आधार पर उत्पादकता अधिक बढ़ाने का दावा करती थीं। अतः इन बीजों के आधार पर जैविक कृषि फैलाने के प्रयास में एक विरोधाभास है। मूलतः हमें परंपरागत बीजों की विरासत की ओर लौटना होगा व इनके आधार पर जैविक कृषि से उत्पादकता बढ़ाने के प्रयास भी करने होंगे।

3. कृषि का मशीनीकरण, ऊर्जा व ग्रीनहाऊस गैस उत्सर्जनः काफी पहले से कम्बाइन हार्वेस्टर के उपयोग पर यह आपत्ति रही है कि इससे बेरोज़गारी बढ़ती है व मूल्यवान चारा नष्ट होता है। छोटे किसानों द्वारा ट्रैक्टर खरीदने से उनके कर्ज़ असहनीय हद तक बढ़ते रहे हैं। डीज़ल या बिजली का उपयोग करके भूजल का दोहन अनेक स्थानों पर इतना अधिक किया गया है कि भूजल स्तर तेज़ी से नीचे जा रहा है भविष्य के लिए एक बड़ा संकट पैदा हो रहा है।

ये सब आलोचनाएं पहले के समान आज भी मौजूं हैं, पर अब इनके साथ यह भी जुड़ गया है कि इन सब कारणों से कृषि कार्य में ग्रीनहाऊस गैसों का उत्सर्जन भी बढ़ता है व इस कारण भी इस तरह के मशीनीकरण व अत्यधिक जल-दोहन को नियंत्रित करना ज़रूरी है। जहां एक ओर, बेहतर बायोगैस प्लांट, लघु पनबिजली, पवन व सौर ऊर्जा के बेहतर उपयोग व पशुधन को अधिक समृद्ध करने की ज़रूरत है, वहीं स्थानीय ज्ञान के आधार पर ऊर्जा की बचत व छोटे किसानों के अनुकूल बेहतर छोटे, सरल उपकरण बनाने की भी ज़रूरत है। ललितपुर, उत्तर प्रदेश के ग्रामीण वैज्ञानिक मंगल सिंह द्वारा बनाई गई मंगल टरबाइन डीज़ल व बिजली का उपयोग बचाने वाली स्थानीय स्थितियों के अनुकूल तकनीक का एक बढ़िया उदाहरण है। ऐसे प्रयत्नों को प्रोत्साहित करना चाहिए।

4. भूमि सुधारः अब तक भूमि-सुधार का कार्य मुख्य रूप से तीन स्तरों पर किया गया है। पहला है भूमिहीनों में भूमि वितरण। यह बहुत सार्थक कार्य है और सबसे अधिक ज़ोर इसी पर देना चाहिए। दूसरा स्तर है कि भूस्वामी और बटाईदार के बीच का भूमि सम्बंध कैसा हो? जो लोग भूस्वामी से उसकी ज़मीन जोतने के लिए लेते हैं उनकी व भूस्वामी की हिस्सेदारी किस तरह की हो? इस तरह के भूमि सुधार कार्य को फिलहाल छोड़ देना ही उचित होगा क्योंकि इससे उपलब्धि उतनी नहीं हो रही जितनी कि अफवाहें फैलती हैं। एक गांववासी का दूसरे गांववासी से क्या सम्बंध है, फिलहाल इस पचड़े में सरकार न पड़े। भूमि सुधार का तीसरा स्तर है चकबंदी। यह अधिकांश स्थानों पर भ्रष्टाचार व अनुचित क्रियान्वयन से इतना त्रस्त हो गया है कि इसके पूरी तरह पुनर्मूल्यांकन की ज़रूरत है। जब तक ईमानदारी से इसका पुनर्मूल्यांकन न हो जाए, तब तक इसे भी रोक देना चाहिए।

संक्षेप में कहें तो सरकार को भूमि सुधार के अन्य कार्य छोड़कर अपना ध्यान पूरी तरह भूमिहीनों को भूमि उपलब्ध करवाने व उन्हें सफल किसान बनाने पर केन्द्रित करना चाहिए। इन भूमिहीनों के साथ उन्हें भी जोड़ देना चाहिए जिनके पास नाममात्र को ही भूमि है।

सरकार को यह स्पष्ट घोषणा करनी चाहिए कि किसी भी मध्यम श्रेणी के किसान की कोई भूमि नहीं ली जाएगी और न ही उनके व बटाईदारों या उनकी भूमि कुछ समय के लिए जोतने वालों के आपसी सम्बंधों में कोई दखलंदाज़ी की जाएगी। इस स्पष्ट घोषणा का परिणाम यह होगा कि भूमि सुधार कार्यक्रम के विरुद्ध जो कुप्रचार होता है या अफवाहें फैलाई जाती हैं वह अपने आप रुक जाएगा। सभी मध्यम स्तर तक के किसान पूरी तरह निश्चिंत हो जाएंगे कि उनके हितों की कोई क्षति नहीं होगी।

इस ओर से चिंतारहित होकर अब सरकार इस बात पर

ध्यान केन्द्रित कर सकती है कि भूमिहीनों के लिए भूमि की व्यवस्था कैसे की जाए। इसके लिए वर्तमान सीलिंग कानूनों के अंतर्गत बड़े भूस्वामियों से भूमि प्राप्त की जा सकती है। भूदान कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त भूमि जो ठीक से वितरित नहीं हुई थी, वह भी वितरित की जा सकती है। गांव की ज़मीन पर जो अवैध कब्ज़े हैं वे हटाए जा सकते हैं। शहरों में अनेक धनी परिवार हैं जिनका गांव की खेती-किसानी से कोई सम्बंध नहीं रहा व न ही वे भविष्य में खेती कर पाएंगे। उनकी भूमि का एक बड़ा हिस्सा भी गांव के भूमिहीनों को दिया जा सकता है।

वन विभाग की बहुत-सी ज़मीन खाली पड़ी है। यह वृक्ष-खेती के लिए भूमिहीन परिवारों को दी जा सकती है। ऐसी स्थानीय प्रजातियों को चुनना चाहिए जिनमें मिट्टी व जल संरक्षण के गुण होने के साथ-साथ उनसे मूल्यवान लघु वनोपज भी मिले। जब तक पौधे छोटे हैं, तब तक इन परिवारों को वृक्षारोपण व गरीबी उन्मूलन योजनाओं के अन्तर्गत आर्थिक सहायता दी जाए। जब वृक्ष बड़े हो जाएं तो उनकी लघु वनोपज पर इन परिवारों को पूरा हक दे दिया जाए व बदले में वे इन वृक्षों की रक्षा करें।

अनेक जलाशयों में कुछ भूमि वर्ष के कई महीने खेती के लिए उपलब्ध हो जाती है। यह प्रावधान हो सकता है कि यह मात्र भूमिहीनों को ही खेती के लिए निशुल्क दी जाएगी।

बहुत-सी बंजर पड़ी भूमि को सरकार अपने प्रयास से खेती योग्य बना कर भूमिहीनों को दे सकती है, या चारागाह व चारे के वृक्ष विकसित कर भूमिहीनों को डेयरी कार्य के लिए दिया जा सकता है। सरकार के कृषि फार्मों व विश्वविद्यालयों में प्रयोगों के साथ जो फसल उत्पादन होता है, वह भूमिहीन कृषि मजदूरों को दिया जा सकता है।

चरवाहों व कुम्हारों जैसे दस्तकारों के लिए जो भूमि चाहिए उसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। केवल खेती ही नहीं दस्तकारी व पशुपालन के अवसर भी भूमिहीनों व निर्धन परिवारों के लिए उपलब्ध होने चाहिए।

आवासीय भूमि सब गांववासियों को उपलब्ध करवाने का उद्देश्य पहले ही सरकार स्वीकार कर चुकी है। इसके लिए एक समयबद्ध, विशेष अभियान चलाकर यह सुनिश्चित कर देना चाहिए कि कोई भी ग्रामीण परिवार अपनी हकदारी की आवसीय भूमि से वंचित न रहे। जहां तक संभव हो इस आवासीय भूमि में छोटे-से बगीचे की जगह, पशु रखने की जगह भी होनी चाहिए। यह कार्यक्रम उच्च प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र से शीघ्र पूर्ण कर लेना चाहिए।

जिन भूमिहीनों में कृषि भूमि का वितरण हो उन्हें लघु सिंचाई कार्यक्रम व वाटरशेड विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत कुछ सिंचाई की सुविधा व जैविक, सस्ती आत्मनिर्भर कृषि का प्रशिक्षण अवश्य मिलना चाहिए। इस तरह लाखों भूमिहीन सफल किसान बन सकते हैं। साथ ही यह ज़रूरी है कि विस्थापन की समस्या को न्यूनतम किया जाए ताकि किसानों को भूमिहीन न बनना पड़े।

5. जल व मिट्टी संरक्षणः जल व मिट्टी संरक्षण बहुत महत्त्वपूर्ण है पर प्रायः इस कार्य में बहुत भ्रष्टाचार व अनियमितताएं देखी गई हैं। इससे न केवल वांछित लाभ नहीं मिल पाता है अपितु कई बार तो निहित स्वार्थों के हावी होने से जो खानापूर्त्ति होती है या आधे-अधूरे बिना सोच के कार्य होते हैं उनसे स्थिति और बिगड़ जाती है। इस कार्य को सुधारने की अभी बहुत संभावनाएं हैं। वाटरशेड परियोजनाओं को समता-आधारित खेती से भी जोड़ना चाहिए, भूमि सुधार से जोड़ना चाहिए ताकि गरीब व छोटे किसानों को इन परियोजनाओं का अधिक लाभ मिले। किसी स्थान की फसलें व फसल चक्र वहां उपलब्ध पानी के अनुकूल होने चाहिए। नई बड़ी परियोजनाओं से कुछ समय के लिए परहेज़ कर पहले से बनी परियोजनाओं के बेहतर उपयोग पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। नदी-जोड़ परियोजनाओं से परहेज़ करना चाहिए। बड़े उद्योग की अपेक्षा कृषि व खाद्य उत्पादन हेतु जल उपलब्धि को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। परंपरागत जल स्रोतों के रख-रखाव व उन्हें नया जीवन देने को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

6. कम खर्चीली खेती व कर्ज़ग्रस्त होने से बचावः सभी स्तरों पर खेती को खर्चीली बनने से रोकना चाहिए व एक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य यह होना चाहिए कि किसान कर्ज़ग्रस्त होने से बच सके। इसके बावजूद किसान को कर्ज़ की ज़रूरत पड़ ही जाए तो सरकार को कम ब्याज पर व

साधारण ब्याज दर पर कर्ज़ देना चाहिए व मौसम प्रतिकूल होने पर ब्याज छोड़ देना चाहिए। बचत की आदत डालने व सूदखोरी से बचने के लिए स्वसहायता समूहों को प्रोत्साहित करना चाहिए। चूंकि पिछली कर्ज़माफी योजना में कई कमियां रह गई थीं अतः एक और कर्ज़ मुक्ति योजना पर विचार करना चाहिए।

7. उचित कीमत व प्रोत्साहनः किसानों को उपज की वर्तमान कीमत की अपेक्षा बेहतर कीमत मिलनी चाहिए। खेती-किसानी बहुत कुशलता का कार्य है। अतः कीमत निर्धारण में किसान के कार्य की कुशलता को मान्यता मिलनी चाहिए।

8. खाद्य सुरक्षा पहली प्राथमिकताः फसलों के चुनाव में स्थानीय भोजन के ज़रूरी खाद्य पदार्थों जैसे अनाज, दलहन, तिलहन, सब्ज़ी को प्राथमिकता देनी चाहिए। दूसरी प्राथमिकता स्थानीय पशुपालन के लिए चारे, कुटीर उद्योगों के लिए ज़रूरी फसल, विशेषकर हाथ से कताई-बुनाई के लिए देसी कपास को मिलनी चाहिए।

9. वृक्ष-खेतीः वन-विभाग की जो ज़मीन खाली पड़ी है या जिस पर वन बुरी तरह नष्ट हो चुके हैं वहां वृक्षारोपण व हरियाली लाने का कार्य निर्धन परिवारों के सहयोग से होना चाहिए। जल व मिट्टी संरक्षण तथा लघु वनोपज की दृष्टि से अच्छी स्थानीय प्रजातियों के पेड़ लगाए जाएं व एक प्राकृतिक वन से कुछ मिलती-जुलती स्थिति तक पहुंचने का प्रयास किया जाए। प्रत्येक परिवार को कुछ एकड़ ज़मीन वृक्ष लगाने व उनकी देख-रेख के लिए दी जा सकती है। इनकी लघु वनोपज पर अधिकार इन परिवारों का रहे व विरासत में ये अधिकार तब तक चलते रहें जब तक कि परिवार वृक्षों की उचित रक्षा करे। वन्य जीवों की रक्षा से भी ये परिवार जुड़ सकते हैं व इसके लिए उन्हें आर्थिक सहायता भी दी जानी चाहिए।

10. पशु पालन की समृद्धि व पशु कल्याणः कृषि की समृद्धि व पशुपालन की समृद्धि को परस्पर पूरक मान कर आगे बढ़ना चाहिए। सभी पशुओं की भलाई पर ध्यान देना चाहिए व गाय-बैल रक्षा का विशेष प्रयास करना चाहिए।

11. महिला किसानः महिला किसानों को प्रोत्साहित करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। भूमि पर पति-पत्नी की संयुक्त हकदारी होनी चाहिए। विवाह के साथ ही पत्नी को पति के साथ भूमि की संयुक्त हकदारी मिल जानी चाहिए।

12. जेनेटिक इंजीनियरिंगः जेनेटिक इंजीनियरिंग से जुड़े अनेक खतरों को देखते हुए जेनेटिक इंजीनियरिंग से प्राप्त फसलों के प्रसार पर पूरी तरह रोक लगनी चाहिए।

13. कुटीर उद्योगः गांवों व पास के कस्बों में छोटे व कुटीर उद्योगों को अधिकतम प्रोत्साहन मिलना चाहिए। आज़ादी के समय की स्वदेशी की भावना को नवजीवन मिलना चाहिए। इसकी मूल सोच यह है कि जिन वस्तुओं का उत्पादन गांव व कस्बे स्तर पर संभव है उसका उत्पादन इस स्तर पर ही होना चाहिए। दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की आपूर्त्ति में गांव व कस्बे जितने आत्मनिर्भर बनें उतना ही अच्छा है। औद्योगीकरण विस्थापन व प्रदूषण फैलाने वाला न हो अपितु ऐसे छोटे उद्यमों को प्रोत्साहित किया जाए जिससे किसान परिवारों के सदस्यों को अपनी खेती-किसानी छोड़े बिना रोज़गार के अतिरिक्त अवसर मिल जाएं। खेती में देसी कपास के उत्पादन पर ध्यान दिया जाना चाहिए जो हाथ की कताई व बुनाई को नया जीवन देने में, हथकरघा बुनकरों को कच्चा माल उपलब्ध करवाने में सहायक हो। कृषि व पशुपालन से जुड़े कुटीर उद्योगों के अतिरिक्त विभिन्न दैनिक वस्तुएं उपलब्ध करवाने वाले अन्य कुटीर उद्योगों की भी ज़रूरत है।

14. कृषि अनुसंधानः कृषि वैज्ञानिकों को कॉरपोरेट दबाव से पूर्णतः मुक्त होकर छोटे किसानों व टिकाऊ खेती के हित में काम करना चाहिए। कृषि, पशुपालन, सिंचाई, जल संरक्षण व संग्रहण सम्बंधी परंपरागत ज्ञान को जानने-समझने, उससे सीखने को समुचित महत्त्व मिलना चाहिए।

15. विनाशकारी खनन पर रोकः जहां खनन से कृषि, हरियाली, जल-स्रोतों व स्वास्थ्य की तबाही हो रही है, वहां उस पर रोक लगनी चाहिए। खनन के वही तौर-तरीके स्वीकृत हो सकते हैं जो पर्यावरण, कृषि व स्वास्थ्य की क्षति न करें व आर्थिक लाभ स्थानीय ज़रूरतमंद लोगों को मिले। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वर्तमान खनन नीति को बदलना होगा। ***(स्रोत फीचर्स)***